प्रेषक,

आयुक्त,
ग्राम्य विकास,
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

समस्त संयुक्त विकास आयुक्त/
मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।

पत्रांकः – 308/बैठक सेल(मु0)/2010–11 :: लखनऊः दिनांक 03 अक्टूबर–2011

विषय– मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी की अध्यक्षता में दिनांक 10–10–2011 को मा0 मुख्यमंत्री के उच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों व अन्य विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया, अवगत कराना है कि मा0 मुख्यमंत्री की उच्च प्राथमिकता कार्यक्रमों व अन्य विभागीय कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक मा0 ग्राम्य विकास मंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 10–10–2011 को आवास विकास परिषद स्थित सभा कक्ष, महात्मा गांधी मार्ग, लखनऊ में पूर्वान्ह 11.00 बजे से आहूत की गयी है। बैठक का एजेण्डा निम्न लिखित हैः–

1. महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत निर्धारित मासिक लक्ष्य के सापेक्ष वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा।
2. महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त शिकायतों के निराकरण की स्थिति ।
3. भूमि सुधार के लाभार्थियों के चयन एवं वर्क आई0डी0 जनरेट करने की प्रगति की समीक्षा ।
4. महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत इन्टर सेक्टोरल कन्वर्जेन्स हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन द्वारा निर्गत शासनादेश दिनांक 02.05.2011 की समय–सारिणी तथा प्रगति रिपोर्ट की समीक्षा।
5. महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत कुल बीपीएल परिवार की संख्या के सापेक्ष निर्गत जाब कार्डों की संख्या की समीक्षा।
6. वित्तीय वर्ष 2011–12 में अद्यतन एम0आई0एस0 फीडिंग की समीक्षा।
7. महात्मा गांधी नरेगा के योजनान्तर्गत दर्ज करायी गयी प्रथम सूचना रिपोर्ट/विभागीय कार्यवाही की सूचना प्रेषित किये जाने की स्थिति।
8. श्रमिकों एवं संविदा आधारित कार्मिकों के भुगतान लम्बित न रहने के विषय में प्रेषित किये जाने वाले प्रमाण पत्र की स्थिति।
9. आदर्श तालाबों के निरीक्षण, जलभराव की प्रगति की समीक्षा।
10. तहसील स्तरीय नरेगा निगरानी दिवस की प्रगति की समीक्षा।
11. महात्मा गांधी नरेगा के अन्तर्गत वृक्षारोपण की प्रगति एवं सामाजिक वानिकी कार्यक्रम की प्रगति की समीक्षा। यथा–गड्ढे की खुदाई, प्री स्वायल वर्क , ट्री गार्ड की व्यवस्था, पौधों की उपलब्धता तथा पौधों की सुरक्षा एवं संरक्षा आदि। समस्त सूचना समीक्षा बैठक में साथ लेकर आयेंगे।
12. महात्मा गांधी नरेगा से सम्बन्धित उपरोक्त बिन्दु 1 से 11 तक की सूचनायें दिनांक 04–*10–2011 तक* **upregs@yahoo.co.in** पर ई–मेल के माध्यम से प्रेषित की जायेगी।
14. ग्रामीण आवासीय योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा। निर्धारित मासिक लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा की जायेगी। एम0आई0एस0 फीडिंग की समीक्षा। प्रथम किश्त निर्गत करने की समीक्षा। द्वितीय किश्त का प्रस्ताव भारत सरकार भेजने के सम्बन्ध में समीक्षा एवं पूर्ण आवासों की समीक्षा।
15. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति की समीक्षा। समूह गठन, ऋण वितरण, एवं एम0आई0एस0 की स्थिति। निर्धारित मासिक लक्ष्य के सापेक्ष प्रगति की समीक्षा की जायेगी।
16. समूहों को चयनित कार्य–कलापों के लिए अवस्थापना मद से कार्य कराने के लिए आयोजित कार्यशाला की समीक्षा।
17. सरसहाट/विलेज हाट निर्माण एवं संचालन की समीक्षा ।
18. ग्रामीण पेयजल योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा।
19. राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम की समीक्षा ।
20. विधायक निधि की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा।
21. डा0 अम्बेडकर ग्राम सभा विकास योजना/नक्सल ग्राम की प्रगति की समीक्षा। आवास हेतु प्रथम किश्त निर्गत करने की समीक्षा।
22. अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना में वर्ष 2011–12 की कार्ययोजना की समीक्षा।
23. डी0आर0डी0ए0(प्रशा0) योजनान्तर्गत मुख्यालय को प्रेषित की जाने वाली 10 प्रतिशत की धनराशि के बैंकड्राफ्ट जिन जनपदों द्वारा अभी तक उपलब्ध नहीं कराया गया है, वे जनपद बैठक में साथ लेकर आएं।
24. जनपदों को विकलांगों की सुविधा हेतु रैम्प बनवाने के लिए जो धनराशि दी गयी है उसके सापेक्ष भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा।
25. डी0आर0डी0ए0(प्रशासन) योजना का वर्ष 2008–09,2009–10 व 2010–11 का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर भारत सरकार को उपलब्ध कराने हेतु 33 जनपदों–इलहाबाद, अम्बेडकर नगर, बदायूँ, बलिया, बलरामपुर, बाँदा, बाराबंकी, बस्ती, संतरविदास नगर, देवरिया, इटावा, गाजीपुर, गोण्डा, गोरखपुर, हरदोई, महामाया नगर, कन्नौज, कांशीराम नगर, कौशाम्बी, खीरी, कुशीनगर, ललितपुर, महोबा, मैनपुरी, मथुरा, मिर्जापुर, प्रतापगढ़, रायबरेली,

सहारनपुर, संतकबीर नगर, वाराणसी से अभी भी सूचनाएं अप्राप्त हैं । ये जनपद बैठक में सूचना उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। कृपया यह सुनिश्चित कर लें कि उक्त सूचना में प्रारम्भिक अवशेष एवं पिछले वर्ष का अन्तिम अवशेष में मिलान सही हो।

26. महामाया आवास याजनान्तर्गत दैवी आपदा हेतु आरक्षित धनराशि के आवंटन हेतु अभी तक 40 जनपदों मथुरा, मैनपुरी, अलीगढ़, कांशीराम नगर, एटा, पीलीभीत, गाजियाबाद, गोतमबुद्ध नगर, कानपुर नगर,औरैया, इटावा, फर्रूखाबाद, कन्नौज, झांसी, जालौन, गोण्डा, बहराइच, श्रावस्ती, संतकबीरनगर, सिद्धार्थनगर, उन्नाव, लखीमपुर खीरी, हरदोई, वाराणसी, जौनपुर,चन्दौली, बॉदा, हमीरपुर, महोबा, छत्रपति साहूजी महराज नगर, के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं, ये जनपद वांछित प्रस्ताव बैठक में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

27. 31 मार्च, 2010 को समाप्त हुए वर्ष के लिए पी०ए०सी० प्रस्तर विधान मंण्डल क्षेत्र,विकास निधि की अनुपालन आख्या 18 जनपदों आगरा, इलाहाबाद, बरेली, बुलन्दशहर, चन्दौली, एटा, गोरखपुर, झांसी,लखनऊ,मथुरा, मऊ, मेरठ, मुजफ्फर नगर, सहारनपुर, सोनभद्र, श्रावस्ती, उन्नाव एवं वाराणसी में से मात्र 03 जनपदों सहारनपुर, बुलन्दशहर, मेरठ से प्राप्त हुई है। शेष जनपद अनुपालन आख्या बैठक में प्रापत कराना सुनिश्चित करें। इन 18 जनपदों के अतिरिक्त अन्य जनपदों को भी उक्त पी०ए०सी० प्रस्तर के प्रस्तर 2.1.5.1 का उत्तर मुख्य विकास अधिकारी बैठक में साथ लायें।

28. जन शिकायतों के त्वरित एवं परिणामपरक निस्तारण के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1314/38–3– 2011 –30 /2011, दिनांक 24 अगस्त 2011 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन कार्यवाही की समीक्षा की जायेगी। अब तक प्राप्त शिकायतों का संकलित विवरण विकास खण्डवार बैठक में साथ लायें। यदि प्राप्त जन शिकायतों में से कोई गम्भीर प्रकरण अभी तक अनिस्तारित है उसे बैठक में मुख्यालय/शासन के संज्ञान के संज्ञान में लाया जाय।

29. मा0 मुख्यमंत्री जी द्वारा प्रदेश के सभी जनपदों में किये गये भ्रमण/निरीक्षण के दौरान दिये गये निर्देशों के अनुपालन की स्थिति की समीक्षा।

30. मा0 ग्राम्य विकास मंत्री जी अध्यक्षता में विगत माह में सम्पन्न हुई समीक्षा बैठक के कार्यवृत्त (जो ई–मेल के माध्यम से शीघ्र ही प्रेषित की जायेगी) से सम्बन्धित बिन्दुओं की अनुपालन आख्या समस्त संयुक्त विकास आयुक्तों द्वारा तत्काल ई–मेल/फैक्स के माध्यम से उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाय तथा अनुपालन आख्या संकलित बुकलेट के रूप में भी बैठक में उपलब्ध करायी जायेगी। यह उल्लेखनीय है कि जो बिन्दु मनरेगा से सम्बन्धित हैं उनकी अनुपालन आख्या सीधे मनरेगा सेल को भी ई–मेल के माध्यम से प्रेषित किया जाय ताकि नियमित अनुश्रवण होता रहे।

अतः आप सभी से अपेक्षा है कि समीक्षा हेतु कार्यक्रम कार्यान्वयन विभाग द्वारा ग्राम्य विकास के निर्धारित संशोधित प्रारुपों पर प्रगति सूचनाएं *प्रत्येक दशा में 04–10–2011 तक अनिवार्य रुप से संयुक्त विकास आयुक्त द्वारा ई–मेल के माध्यम* से उपलब्ध करायी जायेगी। प्राथमिकता कार्यक्रमों के अतिरिक्त अन्य ग्राम्य विकास कार्यक्रमों की प्रगति रिपोर्ट रुरलसाफ्ट पर दिनांक 04–10–2011 तक अनिवार्य रूप से अद्यतन कर दी जाएं।

कृपया, बैठक में उक्त तिथि, समय एवं स्थान पर स्वयं प्रतिभाग करने का कष्ट करें।

भवदीय,
07/9/11
(संजीव कुमार),
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।

पत्रांक–308/बैठक सेल(मु0)/2011,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी के अवलोकनार्थ।
1. निजी सचिव, प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव महोदय के अवलोकनार्थ।
2. महानिदेशक, पं0 दीन दयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान, बक्शी का तालाब, लखनऊ।
3. आयुक्त, ग्रामीण आवास परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. अपर आयुक्त(नरेगा),ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
5. आयुक्त, आवास विकास परिषद, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त विशेष सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन।
7. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम, उत्तर प्रदेश।
8. प्रबन्ध निदेशक, समाज कल्याण निर्माण निगम, लेखराज मार्केट, लखनऊ।
9. अपर आयुक्त(प्रशासन/लेखा/कार्यक्रम), ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
10. समस्त वरिष्ठ उपायुक्त/उपायुक्त/योजनाधिकारी, ग्राम्य विकास, उ0प्र0।
11. प्रकाशन अधिकारी, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश।
12. सूचनाधिकारी, ग्राम्य विकास विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
13. अधीक्षक, स्था0–3 अनुभाग को इस आशय से प्रेषित कि बैठक की कार्यवाही नोट करने हेतु दो आशुलिपिकों, दो सहयोगियों एवं बुकलेट बाइन्ड करने हेतु डिस्पैच प्रभारी को भी निर्देशित करने का कष्ट करें।
14. नाजिर, ग्राम्य विकास, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि पूर्व की भांति उक्त बैठक की समस्त व्यवस्था सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

(संजीव कुमार),
आयुक्त,
ग्राम्य विकास, उ0प्र0।